



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701( )परावि/प्रशा.1/अभि.संस्था/प्रति./22/लूज/3199

जयपुर दिनांक-3/8/22

**-: आदेश :-**

विभागीय आदेश क्रमांक 701( )परावि/प्रशा.2/स.अधि.अभि./प्रतिनियुक्ति/10/613 दिनांक 2.3.2021 के द्वारा श्री दिनेश कुमार, सहायक अभियन्ता की सेवायें माननीय लोक सभा अध्यक्ष (लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली) की निजी सैल में अग्रिम उपस्थिति देने हेतु उनके तत्कालीन धारित पद से कार्यमुक्त होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर दी गयी थी, में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 11.7.2022 के क्रम में एक वर्ष की वृद्धि की जाती है। प्रतिनियुक्ति की शेष शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेंगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

५७

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, लोक सभा सचिवालय, संसद भवन परिसर, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 3.2.22, 11.3.22, 22.4.22 एवं 29.6.22 के क्रम में सूचनार्थ।
6. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. सम्बन्धित अभियन्ता को पालनार्थ।
8. ए.सी.पी. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
9. निजी/आरक्षित पत्रावली।

५७

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)